



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19628-DB

आदेश आरक्षित दिनांक:- 05.01.2026

आदेश प्रदत्त दिनांक:- 29.01.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील सं. - 213 वर्ष 1991

नाथू सिंह एवं अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : विजया शंकर शुक्ला

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :

चैंबर में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा सुनाया गया)

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री विजया शंकर शुक्ला राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री प्रेम शंकर प्रसाद को सुना गया और निचली अदालत के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



2. यह आपराधिक अपील अपर सत्र न्यायाधीश, बदायूं द्वारा सत्र परीक्षण सं. 197 सन् 1986 (राज्य बनाम नत्थू सिंह एवं अन्य) में दिनांक 06.02.1991 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें अपीलकर्ताओं को धारा 302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराया गया है और उन्हें आजीवन कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 5,000 रुपये का जुर्माना न भरने पर प्रत्येक अपीलकर्ता को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

3. दिनांक 01-06-1985 को रात लगभग 9:05 बजे, बदायूं जिला अस्पताल के वार्डबॉय राजू ने बदायूं के थाना कोतवाली में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि शाम 7:50 बजे अलीपुरा गांव, थाना अलापुर के दरियाव सिंह और नवात द्वारा घायल मुरली सिंह को ओपीडी आपातकालीन विभाग में लाया गया था, जिसकी रात 8:00 बजे मृत्यु हो गई और उसका शव मुर्दाघर में रखा गया है। इस सूचना की प्रविष्टि जीडी सं. 62 समय 21-05 दिनांकित 1-6-85 थाना कोतवाली, बदायूं में की गई थी और इसमें आगे लिखा गया था कि वार्डबॉय को बदायूं जिला अस्पताल वापस भेज दिया गया है और इस ज्ञापन की प्रति जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए सब इंस्पेक्टर को दी जाएगी।

4. इसके बाद, मृतक मुरली सिंह की पत्नी श्रीमती नारायण देवी ने बदायूं के कोतवाली थाना में तहरीर दर्ज कराई कि 01-06-1985 को दोपहर लगभग बारह बजे अलीपुरा गांव में, आरोपी नत्थू सिंह, वेदपाल सिंह और बृजराज सिंह ने उसके पति मुरली सिंह और भतीजे नरेंद्र सिंह और उमैंद्र सिंह के साथ चोखे और खुशी राम की उपस्थिति में बलात्कार किया। उसी समय, अलापुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों के साथ-साथ उमैंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। बाकी ग्रामीण मौके से भाग गए। उनके पति के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आईं। जब पुलिस गांव से चली गई, तो उन्होंने नौवत राम, इंदर पाल सिंह और डेरिसो की मदद से मृतक-घायल मुरली सिंह को बदायूं जिला अस्पताल पहुंचाया। उनके पति ने रात में अस्पताल में दम तोड़ दिया। वह रात भर शव के पास रही और सुबह जब उसके गांव के अन्य लोग आए, तो उसने उन्हें शव के पास छोड़कर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने आई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



5. थाना कोतवाली बदायूं में आरोपियों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया और उप-निरीक्षक श्री नैपाल सिंह को अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मृतक मुरली सिंह का पंचनामा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। उप-निरीक्षक श्री नैपाल सिंह ने पंचनामा तैयार किया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सा अधिकारी को सौंप दिया गया। मामले के कागजात थाना अलापुर भेजे गए। अलापुर के एसएचओ श्री वी.पी. सिंह ने मामले की विवेचना की। उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए, घटनास्थल का दौरा किया और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।

6. तीनों आरोपियों पर भा.दं.सं. की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत आरोप लगाया गया, जिस पर उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और विचारण की मांग की।

7. अभियुक्त बृजराज सिंह की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई और उसके विरुद्ध मामला दिनांक 04-02-1991 को उपशमित कर दिया गया।

8. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में मृतक मुरली सिंह की पत्नी श्रीमती नारायण देवी को पीडब्लू-1 के रूप में पेश किया, जो घटना की सूचना देने वाली और चश्मदीद गवाह है। उसने बताया कि आरोपी नत्थू सिंह उनके मृतक पति का बड़ा चचेरा भाई है और आरोपी वेद पाल नत्थू सिंह का पुत्र है। उसने आगे बताया कि बृजराज आरोपी नत्थू सिंह की बहन का पुत्र है, जो बचपन से उसके साथ रहता था। उसके अनुसार, उसके पति मुरली सिंह, नरेंद्र और उमेंद्र तथा आरोपियों के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ जब आरोपी अपने घर की छत पर मिट्टी चढ़ा रहे थे और उनके घर की छत से होकर गुजर रहे थे। उनके घर की छत कमजोर थी, इसलिए उनके पति मुरली सिंह ने उन्हें अपनी छत से मिट्टी न लाने का निर्देश दिया, जिस पर आरोपियों ने उनके पति को गाली देना शुरू कर दिया और जोर देकर कहा कि वे मुरली सिंह की छत से ही मिट्टी लाएंगे। शोर सुनकर वह दरवाजे पर आई और चश्मदीद चोखे, खुशी राम, नरेंद्र सिंह और उमेंद्र सिंह भी मौके पर यानी गली में उसके दरवाजे के सामने आ गए। तीनों आरोपी भी वहीं मौजूद थे। वे सभी लाठियों से लैस थे और उसके पति मुरली सिंह को पीटने लगे। आरोपी नत्थू सिंह की लाठी उसके पति के सिर पर लगी। चोट लगने के बाद वह घर के अंदर भाग गया। इसके बाद आरोपियों ने उमेंद्र और नरेंद्र को भी लाठियों से पीटा। चश्मदीदों के आने पर आरोपी भाग गए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



9. पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपियों के साथ-साथ उमैंद्र और नरेंद्र को गिरफ्तार कर अलापुर थाना ले गई। वह अपने पति के साथ बदायूं जिला अस्पताल आई, जहां रात करीब 8 बजे उसके पति ने दम तोड़ दिया। उसने तहरीर (प्रदर्श क-1) को भी साबित किया। जिरह के दौरान उसने बताया कि उसकी उम्र चौबीस वर्ष है। घटना के समय वह खाना बना रही थी, लेकिन शोर सुनकर वह अपने दरवाजे पर आई और उसने मुरली सिंह को घायल अवस्था में देखा। उसके पति मुरली सिंह की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई। उसने आगे बताया कि उसके पति की हालत बहुत गंभीर होने के कारण वह अलापुर थाना नहीं गई। घटना के तीसरे दिन पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। उसने स्वीकार किया कि गुलाब सिंह उसकी सगी बहन का पति है। उसने यह भी स्पष्ट किया कि केवल नत्थू सिंह की लाठी से उसके पति को चोट लगी थी, जबकि बाकी आरोपियों ने उसे पकड़ रखा था। उसने इस बात से इनकार किया कि उसके अपनी बहन के पति गुलाब सिंह के साथ अवैध संबंध थे। उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसके पति को गुलाब सिंह के साथ झगड़े में चोटें आई थीं। उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसने मुरली सिंह की मृत्यु की घटना को सूरजपाल सिंह और गंगा सिंह से छिपाने की कोशिश की और इसीलिए वह बदायूं नहीं आई।

10. पीडब्लू- 2, चोखे लाल ने भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी विवरण दिया है और अभियोजन पक्ष के बयान की पुष्टि की है। जिरह के दौरान उसने बताया कि मुरली सिंह के सिर पर लाठी के वार के अलावा उसकी पीठ पर भी एक-दो लाठी के वार किए गए थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके और राम सहाय के बीच जमीन को लेकर 1982 से 1986 तक विवाद चलता रहा। राम सहाय ने जालंधर (पंजाब) में उसके और सोबरान के खिलाफ एक मुकदमा भी दायर किया था, जिसमें उसे जमानत देनी पड़ी थी। उसने इस बात से इनकार किया कि वह गांव में चोखे डकैत के नाम से मशहूर हैं।

11. पीडब्लू- 3, नरेंद्र सिंह भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी है और उसने अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन किया है। उसने बताया कि मृतक मुरली सिंह की पत्नी श्रीमती नारायणी देवी उस समय मौजूद थीं जब मारिस सिंह को लाठी का वार किया गया था। उसने यह भी बताया है कि अलापुर थाना ने उसे और उमैंद्र को अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था। उसे मुरली सिंह की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



मृत्यु के बारे में तभी पता चला जब अगले दिन उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। उसने आगे बताया कि उसे और वाएंद्र को भी लाठी से चोटें आई थीं, लेकिन उसकी चिकित्सकीय जांच नहीं की गई, हालांकि उसने दीवानजी से अपनी चिकित्सकीय जांच करवाने का आग्रह किया था। उसने यह भी स्पष्ट किया है कि अब मुरली सिंह के घर और उसके घर के बीच एक दीवार है, लेकिन घटना के समय वह दीवार मौजूद नहीं थी।

12. पीडब्लू- 4, हेड कांस्टेबल राजपाल सिंह एक औपचारिक गवाह हैं, जिन्होंने बताया है कि कांस्टेबल नरेंद्र पाल सिंह अन्य कागजात के साथ जीडी में दर्ज चिक-एफआईआर की प्रति अलापुर थाना लाए थे। उन्होंने जीडी रिपोर्ट सं. 14 दिनांकित 02-06-1985 की प्रति को प्रमाणित किया है, जिसे प्रदर्श क-2 के रूप में चिह्नित किया गया है।

13. पीडब्लू- 5, डॉ. एन.के. महेश्वरी (जिन्हें गलती से डॉ. एम.एन. महेश्वरी बताया गया है), जिला अस्पताल, बदायूं के चिकित्सा अधिकारी ने मृतक मुरली सिंह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांक 02.06.85 को शाम 4:30 बजे तैयार किया। उन्होंने मृतक मुरली सिंह के शव पर निम्नलिखित पूर्व-मृत्यु चोटें पाईं:

(1) सिर के दाहिनी ओर दाहिनी भों से 7 सेमी ऊपर 2 सेमी x 0.5 सेमी x हड्डी तक गहरा फटा हुआ घाव।

14. उन्होंने खोपड़ी की ललाट पार्श्विका हड्डी में फ्रैक्चर भी पाया। उन्होंने मस्तिष्क के दाहिनी ओर जमा हुआ रक्त भी पाया। पेट में लगभग 4 औंस पानी पाया गया। मृतक की मृत्यु पूर्व-मृत्यु चोटों के कारण हुई थी। उन्होंने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श-क-3) को प्रमाणित किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पूर्व-मृत्यु चोटें मृतक की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। उनके अनुसार, यह चोट दिनांक 1 जून, 1985 को दोपहर 12 बजे लाठी से लगी हो सकती है।

15. पीडब्लू- 6, एस.आई. श्री वीरपाल सिंह, जो उस समय अलापुर के एसएचओ थे, ने इस मामले की विवेचना की। उन्होंने जीडी की प्रति (प्रदर्श-क-2) को प्रमाणित किया है। उनके अनुसार, मामले के कागजात उनकी उपस्थिति में थाना में प्राप्त हुए थे। उन्होंने उसी दिन कांस्टेबल/क्लर्क नरेंद्र पाल सिंह और मोहर्रिर राजपाल सिंह के बयान दर्ज किए और थाना, कोतवाली, बदायूं आए, जहां उन्होंने हेड कांस्टेबल हरि लाल और कांस्टेबल मोहन सिंह के बयान दर्ज किए। इसके बाद, वे अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



सूचनादाता श्रीमती नारायण देवी की तलाश में जिला अस्पताल, बदायूं गए। उन्हें बताया गया कि वह अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ शव के अंतिम संस्कार के लिए कछला गई हैं। दिनांक 03.06.85 को उन्होंने श्रीमती नारायण देवी और गवाह नरेंद्र सिंह के बयान दर्ज किए और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया तथा नक्शा नजरी तैयार की, जिसे उन्होंने प्रदर्श-क-4 के रूप में प्रमाणित किया है। दिनांक 07-06-85 को उन्होंने उमैंद्र सिंह, शिशुपाल और चोखे लाल गवाहों के बयान दर्ज किए। दिनांक 10-06-85 को उन्होंने खुशी राम और कुछ अन्य लोगों के बयान दर्ज किए जो सुनी-सुनाई बातों पर आधारित थे। दिनांक 10-06-85 को उन्होंने आरोपी नत्थू सिंह, वेदपाल सिंह और एस.आई. श्री कृष्ण नंद के बयान दर्ज किए। विवेचना पूरी करने के बाद, उन्होंने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र (प्रदर्श क-5) प्रस्तुत किया। उन्होंने जीडी रिपोर्ट सं. 25, समय 17:00 अपराह्न, दिनांकित 01-06-05 की प्रति भी प्रस्तुत की, जिसे (प्रदर्श क-6) के रूप में चिह्नित किया गया है। एस.आई. श्री कृष्ण नंद ने अलीपुरा गांव से धारा 151 दंड प्रक्रिया के तहत पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों और पुलिस के आगमन को एस.आई. कृष्ण नंद ने स्वयं जीडी की प्रति (प्रदर्श क-6) में दर्ज किया था। जिरह के दौरान उन्होंने बताया कि अलीपुरा गांव, थाना अलापुर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। उन्होंने आगे कहा है कि मुरली सिंह भी उस घटना में मौजूद था जिसमें एस.आई. कृष्णानंद ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया था, इस बात की जानकारी उन्हें घटना के तीसरे दिन ही मिली। उन्होंने यह भी कहा है कि पीडब्लू.3 नरेंद्र सिंह ने दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत अपने बयान में उनसे यह नहीं कहा था कि श्रीमती नारायणी देवी घटनास्थल पर मौजूद थीं। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि श्रीमती नारायणी देवी के गुलाब सिंह के साथ अवैध संबंध थे। उन्होंने आगे इस बात से भी इनकार किया है कि घटना के बाद, मुरली सिंह ने अपनी पत्नी को गुलाब सिंह के साथ लेटे हुए देखा हो, और उसके बाद, जब मुरली सिंह ने शोर मचाया, तो गुलाब सिंह ने मुरली सिंह पर लाठी से वार किया हो। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि सूरज पाल सिंह ने अपने बेटों का बदला लेने के लिए, श्रीमती नारायणी देवी के ज़रिए जबरदस्ती आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई हो।

16. पीडब्लू- 7, श्री नैपाल सिंह (एस.आई.) मृतक मुरली सिंह की मृत्यु का पंचनामा तैयार करने वाले गवाह हैं। उन्होंने थाना कोतवाली, बदायूं में हेड कांस्टेबल होरी लाल द्वारा लिखित चिक-एफआईआर (प्रदर्श क- 7) और उसी होरी लाल द्वारा लिखित जीडी (प्रदर्श क-8) की प्रति को भी अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

औपचारिक रूप से प्रमाणित किया है। उन्होंने अपने द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट (संविधान खंड 9), मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूं को पत्र (संविधान खंड 10), आरआई को पत्र (प्रदर्श क-11), मृतक के कपड़े सीएमओ बदायूं ले जाने के संबंध में पत्र (प्रदर्श क-12), चालान-लाश (प्रदर्श क-13) और खाकलाश (प्रदर्श क-14) को भी प्रमाणित किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि शव को कपड़े में लपेटकर सील किया गया था और नमूना सील तैयार की गई थी, जो (प्रदर्श क-15) है। उन्होंने कांस्टेबल/क्लर्क मोहन सिंह द्वारा लिखित जीडी रिपोर्ट सं. 61 समय 21-05 दिनांकित 01-06-85 को भी प्रमाणित किया है, जिसे प्रदर्श क-16 के रूप में चिह्नित किया गया है। जिरह के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि प्रदर्श क-9 में दिनांक और समय में कुछ काट-छांट हुई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने गलती से समय 7-50 x लिख दिया था, लेकिन वे यह नहीं बता सके कि पंचनामा में 7-50 समय किस उद्देश्य से लिखा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पंचनामा रिपोर्ट में आरोपियों के नाम नहीं लिखे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि शव किस मामले से संबंधित है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मृतक मुरली सिंह के शरीर पर तीन चोटें दर्ज की थीं। इनमें से दो चोटें दिखाई दे रही थीं और एक अदृश्य थी। अदृश्य चोट के बारे में उन्होंने बताया कि दाहिने जबड़े पर सूजन थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने मृतक के शव की चोटों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण नहीं किया था। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया कि जब उन्होंने पंचनामा तैयार किया था, उस समय थाना में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी।

17. सभी आरोपियों ने अपने बीच के रिश्ते को स्वीकार किया है कि वेदपाल सिंह, आरोपी नत्थू सिंह का पुत्र है और आरोपी ब्रिरल, नत्थू सिंह की बहन का पुत्र है और जन्म से ही नत्थू सिंह के साथ रहता है। सभी आरोपियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयानों में घटना से इनकार किया है। हालांकि, उन्होंने कहा है कि वे बचाव में सबूत पेश करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने चालान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति (प्रदर्श-ख-1 और ख-2) के अलावा कोई सबूत पेश नहीं किया।

18. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, निचली अदालत के रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री का अध्ययन करने और निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले का अवलोकन करने के बाद, हम पाते हैं कि यह अपील अपीलकर्ता सं. 1, नत्थू सिंह और उसके पुत्र, वेद पाल द्वारा दायर की गई है। इस अपील के लंबित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



रहने के दौरान, अपीलकर्ता सं. 1, नत्थू सिंह का निधन हो गया है और अपीलकर्ता सं. 1, नत्थू सिंह के विरुद्ध अपील को उपशमित कर दिया गया है।

19. पीडब्लू-1 के बयान के अनुसार, अपीलकर्ता सं. 1, नत्थू सिंह ने मृतक मुरली सिंह के सिर के दाहिनी ओर लाठी से एक ही प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी ललाट पार्श्विका अस्थि में फ्रैक्चर हो गया। मृतक मुरली सिंह के शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं पाई गई।

20. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी व्यक्ति अपनी छत पर मिट्टी चढ़ा रहे थे और मृतक मुरली सिंह के घर की कमजोर छत से होकर गुजर रहे थे। मुरली सिंह ने उन्हें अपनी छत से मिट्टी ले जाने से मना किया, जिसके बाद उनके और आरोपियों के बीच विवाद हुआ। मृतक-अपीलकर्ता, नत्थू सिंह पर आरोप है कि उसने मृतक के सिर पर लाठी से एक ऐसा घाव किया जो उसकी मृत्यु का कारण बना। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि मुरली सिंह के सिर पर घातक प्रहार करने से पहले कोई पूर्व नियोजित, योजना बनाई गई और उसके बाद उसे अंजाम दिया गया था। मुख्य आरोपी, नत्थू सिंह की पहले ही मृत्यु हो चुकी है।

21. यह मामला भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है। अपीलकर्ता को इस मामले में भा.दं.सं. की धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया है। उसकी आयु लगभग 60 वर्ष है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

22. एफ.आई.आर. में अभियोजन पक्ष ने तीन व्यक्तियों को आरोपी बनाया था, जिनमें से बृजराज की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। अपीलकर्ता सं. 1 की इस अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई। अब केवल वेदपाल, अपीलकर्ता सं. 2, ही शेष है।

23. भा.दं.सं. की धारा 34 तभी लागू होती है जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा एक सामान्य इरादे से किया गया हो। ऐसे सभी व्यक्ति उस कृत्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि वह कृत्य अकेले उसके द्वारा किया गया हो।

24. सर्वोच्च न्यायालय ने *सौकलाराम नांगरे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2012(9) जेटी 116* के मामले में यह माना है कि भा.दं.सं. की धारा 34 लागू करने के लिए पूर्व-नियोजित योजना को साबित करना आवश्यक है और इसके लिए पूर्व-साझेदारी और पूर्व-सहमत होना आवश्यक है। इस मामले

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



में, अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि इस मामले में कोई पूर्व-योजना शामिल थी और उसी के अनुसरण में सभी आरोपियों द्वारा कथित अपराध किया गया था। यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था कि कथित आपराधिक कृत्य सभी आरोपियों द्वारा सामान्य इरादे से किया गया था [देखें- राम बिलास सिंह बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1989 (एससी) 1593]। इसके अलावा, मृतक को लगी एकमात्र चोट से भी इस मामले में जीवित अपीलकर्ता सं. 2, वेदपाल की कोई संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है।

25. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा मानना है कि भा.दं.सं. की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराना और सजा देना उचित नहीं है। अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है और उसे सभी आरोपों से बरी किया जाता है।

26. अपीलकर्ता जमानत पर है, उसके जमानत बांड और जमानतदारों को उन्मोचित किया जाता है।

27. आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है।

28. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति के साथ निचली अदालत का रिकॉर्ड निचली अदालत को लौटा दिया जाए।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

29 जनवरी, 2026

अभिषेक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।